न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, पुष्पा सत्यानी, आर.ए.एस.

निर्णय दिनांकः– 1-4-21

अपील संख्याः 03/21
(जीसीएमएस संख्या 2021/00016)

1. आसिक खॉ पुत्र हाजी मिश्री खॉ जाति मुसलमान निवासी चक 9 केएचएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर। –अपीलांट

–बनाम–

1. मीरादेवी पत्नी बीरबलराम जाट निवासी हाल खाजुवाला तहसील व जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खाजुवाला हाल पूगल। –रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 24–12–2019
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः
1. श्री प्रेम प्रकाश मदान, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री दुलीचन्द देवड़ा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 24–12–2019 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि वाके तहसील पूगल के चक 1, 2 पीआरएम के मुरब्बा नम्बर 97/31

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satya
Date: 2021.07.28 14:21:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था तथा आवंटन पश्चात् से ही उक्त भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अदालत मातहत द्वारा बिना मौके व कब्जे काश्त की रिपोर्ट प्राप्त किये उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा वर्ष 2008 में अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए वादग्रस्त भूमि चक 9 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 97/31 की 15 बीघा 12 बिस्वा भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किये गये थे। तभी से उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा चली आ रही थी तथा प्रकरण जवाब हेतु जैरकार चल रहा था। अदालत मातहत अपीलांट/वादी की अनुपस्थिति में केवल मात्र स्टेट के मौखिक कथन के अनुसार यह अभिलिखित करते हुए कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जबकि उक्त सभी तथ्य अपीलांट को दौराने बहस साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करते हुए साबित किया जाना था। अदालत मातहत द्वारा बिना अपीलांट को साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर वर्ष 2008 से जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया है आदेश है। विधि की यह मंशा रही है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले संबंधित पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अदालत मातहत द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों के अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। वादग्रस्त भूमि पर पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होना है। यदि अपीलाधीन आदेश की आड़ में वादग्रस्त भूमि के मौके व रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन किया गया अथवा अपीलांट को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया गया तो अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.28 14:21:37 IST
Reason: SelfAttested
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कथन किया गया कि यदि प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना दिनांक 24—12—2019 को अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर बहस करने से पूर्व इस तथ्य की और न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया कि अपीलांट वर्ष 2008 से जरिये अधिवक्ता निरन्तर अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आते रहने के उपरान्त दिनांक 24—12—2019 को अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अपीलांट की अनुपस्थिति में मात्र स्टेट के मौखिक कथन के आधार पर खारिज कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र वर्ष 2008 से निरन्तर जैरकार चल रहा था, तथा विगत् पेशियों पर अपीलांट जरिये अधिवक्ता अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आते रहे है तथा दिनांक 03—12—2019 को पत्रावली वास्ते जवाब हेतु जैरकार थी। तदुपरान्त अदालत मातहत द्वारा दिनांक 24—12—2019 को अपीलांट की अनुपस्थिति बताते हुए अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना खारिज कर दिया गया है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि अदालत मातहत के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र वर्ष 2008 से निरन्तर चल रहा था तथा अपीलांट/प्रार्थी जरिये अधिवक्ता अदालत मातहत के समक्ष निरन्तर उपस्थित भी आते रहे है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.28 14:21:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

को आनन–फानन में व फौरी तौर पर अपीलांट/प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किया जाना चाहिए था। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपीलाधीन आदेश को चुनौती दी गई है। जिससे प्रथम दृष्टया साबित है कि अपीलांट अपने अधिकारों के प्रति सावचेत रहा है। अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर प्रक्रियात्मक कार्यवाही को दरकिनार करते हुए अपीलांट/प्रार्थी को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर कार्यवाही की गई है। अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य मौजूद होते हुए भी बिना रिकार्ड के अवलोकन किये अस्थाई निषेधाज्ञा जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण जहाँ पक्षकारों के मध्य प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं का निर्धारण तय होने होते है, बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये एकतरफा तौर पर अपीलांट के हक व हकूकों को समाप्त करते हुए अपीलांट/प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो स्पष्ट रूप से विधि विरूद्व व कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण, अपील के गुणावगुण पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी किये बिना प्रकरण उभय पक्षों की सुनवाई के उपरान्त गुणावगुण पर पुनः निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–12–2019 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे दोनों पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर अपना विस्तृत विवेचन अंकित करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्षों को जरिये अधिवक्ता निर्देशित किया जाता है कि वे अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 05–05–2021 को आवश्यक रूप से उपस्थित आवें।

8. निर्णय आज दिनांक 1-4-21 को मेरे द्वारा लिखाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.28 14:21:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर